परंपरागत उद्योगों को मिलेंगी कई सुविधाएं

लखनऊ | विशेष संवाददाता

प्रदेश सरकार अब राज्य के परंपरागत उद्योगों पर मेहरबान हो गई है। सरकार ने परंपरागत उद्योगों में लगे लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक सुविधाएं देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस दृष्टि से एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत सामान्य सुविधा केंद्र प्रोत्साहन योजना लागू करने का फैसला किया गया।

कैबिनेट मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि इन सामान्य सुविधा केंद्रों में टेस्टिंग लैब, डिजाइन डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर, तकनीक अनुसंधान उत्पाद प्रदर्शन एवं बिक्री केंद्र, रा-मैटेरियल बैंक-कामन रिसोर्स सेंटर, कामन प्रोडक्शन-प्रोसेसिंग सेंटर, कामन लाजिस्टिक सेंटर, सूचना संग्रह, विश्लेषण एवं प्रसारण केंद्र, पैकेजिंग, लेबलिंग एवं बारकोडिंग सुविधाएं तथा संबंधित जनपद के परंपरागत उद्योग के लिए बुनियादी सुविधाएं दी जाएंगी।

योजना के तहत सामान्य सुविधा केंद्रों की स्थापना, संचालन एवं रखरखाव एसपीवी (स्पेशल परपज व्हिकिल) द्वारा किया जाएगा। एसपीवी स्वयं सहायता समूह, सहकारी संस्थाएं, स्वयंसेवी संस्थाएं, प्रोडयूसर कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर आदि के स्वरूप में हो सकती है। एसपीवी के गठन के लिए कम से कम संस्था में 20 सदस्य होने चाहिए। संस्था रजिस्टर्ड होनी चाहिए। कुल सदस्यों में दो तिहाई ओडीओपी उत्पाद से संबंधित होने चाहिए। कुम्भ मेला 2019 में आने वाले हर कल्पवासी को दो किलो चीनी मुहैया कराई जाएगी। प्रति कार्ड दो किलो चीनी 17 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश की कैबिनेट ने फैसला लिया है। तकरीबन 3174 मि.टन चीनी की जरूरत पड़ेगी।

मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में हिस्सा लेने जाते उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और अन्य मंत्री।

योजना की अन्य खास बातें

- सामान्य सुविधा केंद्रों की स्थापना के लिए अधिकतम 15 करोड़ के प्रोजेक्ट्स लिए जा सकेंगे।
- सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना के लिए सरकार प्रोजेक्ट लागत का 90 फीसदी धनराशि देगी।
- पंद्रह करोड़ से ज्यादा लागत वाले प्रोजेक्ट्स में राज्य सरकार 12.75 करोड़ से ज्यादा धनराशि नहीं देगी।
- प्रोजेक्ट के लिए विवाद रहित जमीन दिलाने की जिम्मेदारी एसपीवी की होगी।
- प्रोजेक्ट के लिए जमीन के मूल्य का आकलन सरकारी संस्थाएं व बैंक करेंगे।
- लीज पर ली गई जमीन की दशा में अधिकतम 15 साल के लीज रेंट को प्रोजेक्ट लागत में शामिल किया जाएगा।
- एसपीवी द्वारा जमीन को राज्य सरकार के पास 15 साल के लिए बंधक रखना होगा।
- सामान्य सुविधा केंद्रों की स्थापना के लिए नोडल विभाग की वेबसाइट पर पात्र संस्थाओं से आवेदन मांगे जाएंगे।

इंस्पेक्टर के प्रमोशन से पहले लेना होगा प्रशिक्षण

यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर पद पर प्रमोशन के लिए अब प्रशिक्षण भी जरूरी होगा। बिना प्रशिक्षण के इंस्पेक्टर नहीं बन सकेंगे। कैबिनेट ने सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दे दी है। यूपी उप निरीक्षक और निरीक्षक सेवा नियमावली के पांचवें संशोधन के अनुसार अब उप निरीक्षक सात वर्ष की सेवा के बाद निरीक्षक पद पर पदोन्नति के योग्य होंगे। हालांकि पदोन्नति की अर्हता में यह भी जरूरी कर दिया गया है कि प्रशिक्षण लिया हुआ हो।

यूपी में 20 हज़ार बाईक टैक्सी चलाएगा उबर

कैबिनेट ने मंगलवार को बाईक टैक्सी के लिए मैरुन, लाल और काला रंग में नहीं होने के प्रतिबंध को हटा दिया है। ऐसा इसलिए किया गया है, क्योंकि 70-80 फीसदी बाईक का रंग मैरुन, काला और लाल होता है। इस बीच, उबर कंपनी ने यूपी में 20 हजार बाईक टैक्सी चलाने का फैसला किया है। वह अपने इस नए प्रोजेक्ट के लिए एक करोड़ रुपये निवेश करेगा। साथ ही 20 हजार युवाओं को रोजगार भी मिलेगा।

बांदा और जालौन मेडिकल कॉलेज में होंगी भर्तियां

आजमगढ़, सहारनपुर, बांदा और जालौन के मेडिकल कॉलेजों में स्थायी नियुक्ति होने तक आउटसोर्सिंग के जरिए कर्मचारी रखे जाएंगे। कैबिनेट ने आउटसोर्स के 198 पदों पर नियुक्ति की मंजूरी दी है। पिछले दिनों कर्मचारियों की कमी के चलते मेडिकल काउंसिल ने इन मेडिकल कॉलेज की मान्यता को निरस्त कर दिया था। बाद में सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। एमसीआई ने निरीक्षण में इन चारों मेडिकल कॉलेजों में समूह ग के तकनीकी और गैर तकनीकी संवर्ग के कर्मचारियों की कमी को देखते हुए मान्यता निरस्त कर दी। यहां पढ़ाई पर रोक लगाने के आदेश भी दे दिए। हालांकि राज्य सरकार ने तत्काल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। कोर्ट ने एमसीआई के आदेश को खारिज कर दिया। इसके बाद प्रदेश सरकार ने इन मेडिकल कॉलेजों में कर्मचारियों के खाली पदों पर भर्तियों की प्रक्रिया अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए करने का फैसला लिया। यह प्रक्रिया चल रही है लेकिन इसे पूरा होने में एक से दो वर्ष समय लगने का अनुमान है।

जापान निवेश के लिए कंपनियों को प्रोत्साहित करेगा

जापान यूपी में खाद्य मूल्य श्रंखला (फूड वेल्यू चेन) का विकास करेगा। इसके लिए कैबिनेट ने मंगलवार को यूपी और जापान के बीच होने वाले समझौते के लिए सहयोग पत्र के मसौदे को मंजूरी दी। इस सहयोग पत्र पर हस्ताक्षर के बाद यूपी में जापान फूड वेल्यू चेन का विकास करेगा। प्रवक्ता ने बताया कि इस समझौते की खास बात यह होगी कि जापान सरकार का कृषि, वानिकी एवं मत्स्य पालन विभाग यूपी के कृषि एवं खाद्य संबंधी उद्योगों में सक्षम जापानी कंपनियों को सीधे पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करेगा। ऐसा जापान सरकार का उक्त विभाग यूपी सरकार के अनुरोध पर करेगा। समझौते के बाद यूपी सरकार नियम-कानून के दायरे में रहकर जापानी कंपनियों के साथ सहयोग कर व्यापारिक सहयोग बढ़ाएगी। जैसे प्लॉट की जमीन उपलब्ध कराने में सहायता करना, बुनियादी सुविधाओं की मजबूती और नियमों के तहत प्रोत्साहन देना शामिल है। यह समझौता पांच साल के लिए लागू होगा।

जल निगम के चेयरमैन को मिलेगा वित्तीय अधिकार

राज्य सरकार ने वर्ष 2007 में मायावती सरकार द्वारा लिए गए फैसले को पलटते हुए जल निगम के चेयरमैन को वित्तीय व प्रबंधकीय अधिकार बहाल करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश जल संभरण और सीवर व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश 2018 के प्रारूप को मंजूरी दी गई। राज्य सरकार ने जल निगम में चेयरमैन नियुक्त करती है। मायावती सरकार में जल निगम के चेयरमैन को अधिकार विहीन कर दिया गया था। इसके लिए उत्तर प्रदेश जल संभरण व सीवर व्यवस्था अधिनियम में धारा 7 (3) जोड़ दी गई थी। इसके बाद जल निगम चेयरमैन के पास वित्तीय व प्रबंधकीय अधिकार समाप्त हो गया था। राज्य सरकार जल निगम के चेयरमैन का यह अधिकार पुनः बहाल करना चाहती है। इसीलिए इसे 28 जून 2017 से बहाल करने के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया है।

पार्क के निर्माण में उच्च विशिष्टियां अनुमोदित

अयोध्या में बनने वाले क्वीन हो मेमोरियल पार्क में कोरियन वॉल, क्वीन पैवेलियन, स्टोन बेंच, स्टोन डस्टबिन, रेनाइट स्टोन फ्लोरिंग, गेटवे और कियास्क आदि उच्च विशिष्टियां शामिल की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसमें कामों की गुणवत्ता के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। सिंचाई व लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता, राजकीय निर्माण निगम के महाप्रबंधक व फैजाबाद के क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी इसके सदस्य होंगे। परियोजना की लागत 24.66 करोड़ रुपये है।

एसीटीएन खत्म कर सस्ती की यूरिया : श्रीकांत

लखनऊ। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सीएनजी यूरिया के बनाने के लिए कच्चा माल है। केंद्रीय रासायनिक एवं उर्वरक मंत्रालय यूरिया की एमआरपी तय करता है। उत्पादन लागत व एमआरपी के अंतर की भरपाई केंद्र सरकार सब्सिडी के रूप में यूरिया बनाने वाली कंपनियों को करती है लेकिन केंद्र सरकार यूरिया पर लगने वाले पांच प्रतिशत अतिरिक्त वैट की भरपाई नहीं करती है। इसे 'एडीशनल कॉस्ट ड्यू टू नॉन रिकॉगनाइज्ड इनपुट टैक्सेसन' (एसीटीएन) कहा जाता है। यह सिर्फ यूपी में ही लिया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि इसके चलते देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा यूपी में यूरिया का 50 किलो बैग 30 रुपये से अधिक महंगा हो जाता है। राज्य सरकार ने इसीलिए एसीटीएन को समाप्त करने का फैसला किया है। प्रदेश में मौजूदा समय 50 किलो यूरिया का बैग 330 रुपये में पड़ रहा है। एसीटीएन समाप्त होने के बाद 50 किलोग्राम का बैग 296.50 रुपये हो जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्माता इकाइयों को सीएनजी की बिक्री से वर्ष 2017-18 में 846.36 करोड़ और गैर निर्माता इकाइयों से सीएनजी की बिक्री से वर्ष 270.23 करोड़ राजस्व मिला।

डीएल वाली कंपनी का एग्रीमेंट बढ़ाया

लखनऊ। कैबिनेट ने स्मार्ट कार्ड पर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाली कंपनी निवसी का एग्रीमेंट 15 दिसंबर, 2018 तक बढ़ा दिया है। निवसी के साथ परिवहन विभाग और एनआईसी के त्रिपक्षीय एग्रीमेंट की अवधि सात नवंबर, 2018 को समाप्त हो रही है। प्रवक्ता ने बताया कि निवसी के साथ स्मार्ट कार्ड पर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के एग्रीमेंट पर आठ नवंबर, 2012 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस एग्रीमेंट की अवधि सात नवंबर, 2017 को समाप्त हो गई थी, जिसे सात नवंबर, 2018 तक बढ़ाया गया था। ई कंपनी के चयन के लिए ई-टेंडर 20 सितंबर को जारी कर दिया गया है।

Scanned by CamScanner

ओडीओपी योजना में खुलेंगे सामान्य सुविधा केंद्र

योगी सरकार एक जिला-एक उत्पाद योजना (ओडीओपी) के अंतर्गत सामान्य सुविधा केंद्र प्रोत्साहन योजना लागू करने जा रही है। मंगलवार को कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। सरकार ने इस योजना के जरिये हर जिलों के उत्पादों को देश-दुनिया में विशिष्ट पहचान दिलाने और कारोबार को बढ़ावा देने के लिए कारीगरों को सुविधा देने की पहल की है। योजना के तहत चिह्नित किये गए उत्पादों से संबंधित कार्यों के लिए सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना होगी।